बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–18/2021 5296 पटना, दिनांकः– 27.06.23

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 148 दिनांक 09.02.2023 द्वारा श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03899) के विरूद्ध शिविर प्रभारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में यह प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार नियमित रूप से ऑनलाईन डायरी की प्रविष्टि नहीं करते है, आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करते हुए गलत प्रतिवेदन समर्पित करते हैं। साथ ही ये दिनांक 01.09.2022 से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित हैं, जिसके कारण विशेष सर्वेक्षण कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि बंदोबस्त कार्यालय स्तर से पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब भी इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। उपरोक्त आरोपों के अतिरिक्त वरीय पदाधिकारियों से अमर्यादित एवं अभद्र व्यवहार करने एवं कार्य में रूचि नहीं लेने, कार्य में मनमानापन एवं स्वेच्छाचारित बरतने के आलोक में संविदा अनुबंध समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 1743 दिनांक 23.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 (तीन) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा 04 माह की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आरोपित दिनांक 01.09.2022 से लगातार अनुपस्थित हैं, जिसके संबंध में वरीय पदाधिकारियों द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब भी इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है, जो आदेश की अवेहलना का द्योतक है। इससे बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनपर मनमानापन एवं स्वेच्छाचारिता का जो आरोप प्रतिवेदित किया गया है, वह स्वतः प्रमाणित होता है। चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है, आरोपित के इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण विशेष सर्वेक्षण जैसा महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। इस परिपेक्ष्य में आरोपित को संविदा में बनाए रखने से इनके इस कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03899) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

27/6/23

(जय सिंह)

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–18/2021 5296 **पटना, दिनांक** :– 27.06.23

प्रतिलिपि :– श्री सुमित कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03899), बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/6/23

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–18 / 2021 5296 **पटना, दिनांक** :– 27.06.23

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(सीतामढ़ी)–18 / 2021 5296 **पटना, दिनांक** :– 27.06.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत श्री कुमार की निजी संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप